

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 165/2019

दायर दिनांक :- 28.06.2019

अनवान

श्री उदय लाल पिता देबी लाल तेली नि. खजुरी तह० जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री श्रवण पिता बक्शा रेगर नि. खजुरी तह० जहाजपुर
2. श्री शंकर पिता कजोड तेली नि. खजुरी तह० जहाजपुर
3. श्रीमति भगवती देवी पत्नि नरेश पारीक नि. खजुरी तह० जहाजपुर
4. श्री उंकार पिता उगमा रेगर नि. खजुरी तह० जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 04.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खजुरी प० ह० खजुरी तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1422, 1422/1 कुल किता 2 रकबा 6. 19 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खजुरी प० ह० खजुरी तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1422, 1422/1 कुल किता 2 रकबा 6. 19 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजुरी का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)  
जहाजपुर (भीलवाडा)

